

भारत सरकार
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171 003



Government of India
Indian Audit and Accounts Department
Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh, Shimla 171 003

परिपत्र (प्रशासन)

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, शिलोंग में केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित) वेतन नियम 2016 का वेतन स्तर 8/9 में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए इस कार्यालय के पात्र / इच्छुक नियमित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) जिनके पास उपरोक्त गुण/योग्यताएं हैं विस्तृत बायोडाटा के साथ दिनांक 07-02-2024 तक उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

A. Proficiency in working on Information Technology (IT) applications and computer. Weightage will be given to applicants having experience related to Human Resources or Administration/Bills in the department and to those with experience in computerization project

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) जिनके पास उपरोक्त गुण/योग्यताएं हैं निर्धारित प्रोफार्मा (सलंग) में विस्तृत बायोडाटा के साथ उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रतिनियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें:

1. प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा मुख्यालय कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगी।
2. उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करे।
3. प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष है।
4. चयन की स्थिति में अधिकारी को आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. केवल नियमित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) के आवेदनों पर विचार किया जाएगा तथा परिवीक्षा पर या अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण अधिकारी जो इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
6. 'Spouse grounds' पर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को अपने जीवनसाथी के रोजगार विवरण/रोजगार के प्रमाण पत्र के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।

अपेक्षित योग्यता नहीं रखने वाले या निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं होने वाले अधिकारियों तथा जिन अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट नहीं है के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन अग्रणी करने के संबंध में अंतिम निर्णय उम्मीदवार की उपयुक्तता और प्रशासनिक सुविधा के अधीन होगा।

(प्राधिकार: महालेखाकार महोदय आदेश दिनांक 25.02.2024)

उप महालेखाकार (प्रशासन)

संख्या:- प्रशासन/ले०प०/प्रतिनियुक्ति/आईएएंडएडी/२०२३-24/ दिनांक

01-२०२४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :

1. सचिव प्रधान महालेखाकार
2. निजी सहायक, सभी समूह अधिकारी
3. संयुक्त ई मेल (cag-all-audithp@ismgr.cag.gov.in)

वरि० लेखापरीक्षा अधिकारी(प्रशासन)

Gorton Castle – 171 003, Telephone: 0177-2600411-438, email. agauhimachalpradesh@cag.gov.in

गॉर्टन कैसल- 171003, दूरभाष: 0177-2600411-438

भारत सरकार
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171 003



Government of India
Indian Audit and Accounts Department
Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh, Shimla 171 003

परिपत्र (प्रशासन)

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, नागपुर में केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित) वेतन नियम 2016 का वेतन स्तर 8/9 में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए इस कार्यालय के पात्र / इच्छुक नियमित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) जिनके पास उपरोक्त गुण/योग्यताएं हैं विस्तृत बायोडाटा के साथ दिनांक 07.02.2024 तक उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

A. In depth knowledge and experience in delivering lectures on computer-based training programs like MS office, Oracle, CAATs-IDEA, Tableau, PL/SQL, IT Audit, Website applications etc. Position will also require developing training materials for IS courses.

B. Experience in delivering lectures on the topics related to Audit and Accounts

C. Knowledge in using of computers and IT enabled services with good communications skills are preferred. |


सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) जिनके पास उपरोक्त गुण/योग्यताएं हैं निर्धारित प्रोफार्मा (सलंग) में विस्तृत बायोडाटा के साथ उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रतिनियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें:

1. प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा मुख्यालय कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगी।
2. उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करे।
3. प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष है।
4. चयन की स्थिति में अधिकारी को आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. केवल नियमित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) के आवेदनों पर विचार किया जाएगा तथा परिवीक्षा पर या अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण अधिकारी जो इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
6. 'Spouse grounds' पर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को अपने जीवनसाथी के रोजगार विवरण/रोजगार के प्रमाण पत्र के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।

अपेक्षित योग्यता नहीं रखने वाले या निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं होने वाले अधिकारियों तथा जिन अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट नहीं है के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन अद्योषित करने के संबंध में अंतिम निर्णय उम्मीदवार की उपयुक्तता और प्रशासनिक सुविधा के अधीन होगा।

(प्राधिकार:  महालेखाकार महोदय. आदेश दिनांक 25.01.2024)

उप महालेखाकार (प्रशासन)

संख्या:- प्रशासन/ले०प०/प्रतिनियुक्ति/आईएएंडएडी/२०२३-24/ दिनांक
0 -२०२४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :

1. सचिव प्रधान महालेखाकार
2. निजी सहायक, सभी समूह अधिकारी
3. संयुक्त ई मेल (cag-all-audithp@ismgr.cag.gov.in)

वरि० लेखापरीक्षा अधिकारी(प्रशासन)

भारत सरकार
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171 003



Government of India
Indian Audit and Accounts Department
Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh, Shimla 171 003

परिपत्र (प्रशासन)

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई में केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित) वेतन नियम 2016 का वेतन स्तर 8/9 में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए इस कार्यालय के पात्र / इच्छुक नियमित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) जिनके पास उपरोक्त गुण/योग्यताएं हैं विस्तृत बायोडाटा के साथ दिनांक 07.07.2024 तक उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

A. Proficiency in working with IT applications and computers

B. Applicants having experience related to human resources or administration bills in the department and having experience of working in computerization projects will be given importance ।


सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) जिनके पास उपरोक्त गुण/योग्यताएं हैं निर्धारित प्रोफार्मा (सलंग) में विस्तृत बायोडाटा के साथ उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रतिनियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें:

1. प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा मुख्यालय कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगी।
2. उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करे।
3. प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष है।
4. चयन की स्थिति में अधिकारी को आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. केवल नियमित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) के आवेदनों पर विचार किया जाएगा तथा परिवीक्षा पर या अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण अधिकारी जो इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
6. 'Spouse grounds' पर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को अपने जीवनसाथी के रोजगार विवरण/रोजगार के प्रमाण पत्र के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।

अपेक्षित योग्यता नहीं रखने वाले या निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं होने वाले अधिकारियों तथा जिन अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट नहीं है के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन अग्रोषित करने के संबंध में अंतिम निर्णय उम्मीदवार की उपयुक्तता और प्रशासनिक सुविधा के अधीन होगा।

(प्राधिकार:  महालेखाकार महोदय आदेश दिनांक-25.07.2024)

उप महालेखाकार (प्रशासन)

संख्या:- प्रशासन/ले०प०/प्रतिनियुक्ति/आईएण्डएडी/२०२३-24/ दिनांक

01-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :

1. सचिव प्रधान महालेखाकार
2. निजी सहायक, सभी समूह अधिकारी
3. संयुक्त ई मेल (cag-all-audithp@ismgr.cag.gov.in)

Signed by Het Ram Jaspal
वरि० लेखापरीक्षा अधिकारी (म.श.सं.)
Date: 30.07.2024 09:36:39

-
-